न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 217 सन 2017

अनवान :—

1. चन्द्रकला पत्नी विनोद जाति स्वामी निवासी नणाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. सुनिता पत्नी बंन्शीलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मालाराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।
4. नत्थुराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, वादी
श्री हवासिह पुनिया अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 10/5/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद इस आष्य का पेश किया की रोही मौजा ननाण के खाता संख्या 232/148 के खसरा न0 305/2 की 37.09 बीधा खसरा न0 306 की 05.05 बीधा कुल 42.14 बीधा भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादीया का 160 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के 523—1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 170—4/5 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज रहने के कारण वादीया का प्रतिवादीगण के साथ रकमराज जमा करवाने एवं भूमि काश्त एवं सीव लगान का तनाजा रहता है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादीगण का कई मर्तबा कहा की मुश्तरका खाते की भूमि का खाता व लगान अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाण के खाता संख्या 232/148 के खसरा न0 305/2 की 37.09 बीधा खसरा न0 306 की 05.05 बीधा कुल 42.14 बीधा भूमि में वादीया के हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग कायम करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर वादीया का वाद दिनांक 10.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा के अनुसार व किस्म भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव चाहा गया ।

तहसीलदार राजस्व नोहर ने न्यायालय के आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अपने पत्रांक 3524 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षों को सुना गया ।

वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वह तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वह मालाराम पुत्र पतराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 4 का नाम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादीया का वाद खाता विभाजन का पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने काउन्टर क्लेम पेश कर अपने पिता के लापता होने पर सिविल डैथ धोषणा चाही गई थी वादीया का खाता विभाजन को होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है प्रतिवादी संख्या 4 को किसी प्रकार का अनुतोष चाहीये तो वह पृथक से वाद पेश कर प्राप्त कर सकता है वादीया के खाता विभाजन के वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण ही वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया गया था

वादीया ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमत है तथा प्रतिवादीगण ने कोई ऐतराज पेश नही किया गय है।

अतः वादीया का वाद तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चन्द्रकला पत्नी विनोद कुमार जाति स्वामी निवासी देह रोही मौजा ननाउ के खसरा संख्या 305/3 की 1.2650हैक, खसरा न0 305/4 की 0.7590हैक कुल 2.0240हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं सुनीता पत्नी बंशीलाल 6.6160हैक जाति जाट साकिन शेरडा , मालाराम पुत्र पतराम 2.1600हैक जाति जाट साकिन दलपतपुरा खातेदार रहन सुनिता हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 305/2 की 7.4480हैक एवं खसरा संख्या 306 की 1.3280हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चन्द्रकला पत्नी विनोद जाति स्वामी निवासी नणाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1 सुनिता पत्नी बंन्शीलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2 मालाराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।
4 नत्थुराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 217 सन 2014 निर्णय दिनांक– 10/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चन्द्रकला पत्नी विनोद कुमार जाति स्वामी निवासी देह रोही मौजा ननाउ के खसरा संख्या 305/3 की 1.2650हैक, खसरा न0 305/4 की 0.7590हैक कुल 2.0240हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं सुनीता पत्नी बंशीलाल 6.6160हैक जाति जाट साकिन शेरडा , मालाराम पुत्र पतराम 2.1600हैक जाति जाट साकिन दलपतपुरा खातेदार रहन सुनिता हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 305/2 की 7.4480हैक एवं खसरा संख्या 306 की 1.3280हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner